सार्वजनिक दायित्व बीमा नीति – विशेष प्रयोजन नीति अनुसूची		
1.	पॉलिसी संख्या	धारा I- 0304011815 धारा II - 0304011816
2.	बीमा	1. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल भवन बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत भवन, 4एवं6 करीमभॉय रोड, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001 3. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंदुस्तान भवन, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - 400 001
3.	पॉलिसी अवधि	बीमा पॉलिसी की प्रभावी तिथि: 01 अप्रैल 2025 बीमा पॉलिसी की समाप्ति तिथि: 31 मार्च 2026
4.	क्षेत्रीय सीमा	भारत में कहीं भी
5.	न्यायिक क्षेत्राधिकार	भारत
6.	दायित्व की सीमा	धारा I के लिए कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये तक, जो धारा II के लिए कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपये तक सीमित होगा।
7.	बीमा का विवरण	धारा I: देश के कानून के अनुसार जीवन की हानि, चोट या क्षति के लिए मुआवज़ा भुगतान करने का दायित्व, जैसा कि न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आदेशों अथवा किसी भी वैधानिक निकाय के आदेशों द्वारा प्रदान किया गया हो, एलपीजी से संबंधित दुर्घटनाओं के संदर्भ में, बशर्ते कि ऐसी दुर्घटनाएँ नीचे उल्लिखित परिस्थितियों (जोखिम की स्थिति) के अंतर्गत घटित हुई हों। परिस्थितियाँ (जोखिम की स्थिति): 1. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र से बाहर ले जाया जा रहा हो। 2. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर अनुमोदित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन के दौरान हों। 3. यह पॉलिसी वितरक के परिसर में संग्रहीत भरे हुए सिलेंडरों को भी सम्मिलित करेगी। यह पॉलिसी अधिकृत रिटेल आउटलेट्स/ किसी भी अधिकृत बिक्री बिंदु (पीओएस) आदि पर संग्रहीत सिलेंडरों को भी सम्मिलित करेगी। 'अधिकृत' शब्द से आशय एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध अनुबंध/ समझौता ज्ञापन (एमओयू) होना है। 4. जब भरे हुए सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों/ वितरक के परिसर से पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर तक परिवहन में हों अथवा 'कैश एंड कैरी' प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा स्वयं ले जाए जा रहे हों। इस आवागमन में वितरक द्वारा उपभोक्ता को सीधे आपूर्ति किए जा रहे एलपीजी सिलेंडर/ फ्री-ट्रेड एलपीजी (एफ़टीएल) सिलेंडरों का परिवहन तथा किसी भी अधिकृत बिक्री बिंदु (पीएसओ) के माध्यम से की जाने वाली अप्रत्यक्ष आपूर्ति शामिल होगी, जिसके पास एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों आदि के साथ वैध अनुबंध/ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हो; और/अथवा

		जब भरे हुए तथा खाली सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता से/ 'कैश एंड कैरी' प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा स्वयं वितरक के परिसर/ बिक्री बिंदु (पीओएस)/ संबंधित तेल विपणन कंपनियों तक परिवहन में हों। इस आवागमन में उपभोक्ता से परिवहनाधीन एलपीजी सिलेंडर/ फ्री-ट्रेड एलपीजी (एफ़टीएल) सिलेंडर तथा एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध अनुबंध/ समझौता ज्ञापन (एमओयू) रखने वाले किसी भी अधिकृत बिक्री बिंदु (पीओएस) के माध्यम से की जाने वाली अप्रत्यक्ष आपूर्ति भी शामिल होगी।
		5. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर में उपयोग में हों अथवा रखे गए हों। तथापि, फ्री ट्रेड एलपीजी (एफ़टीएल) उपभोक्ताओं के मामले में "पंजीकृत उपभोक्ता परिसर" संबंधी शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं का नामांकन केवल पहचान प्रमाण के आधार पर किया जाता है। अधिकृत एलपीजी वितरक/ किसी भी अधिकृत पीएसओ, जिनका एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू हो, द्वारा जारी नकद रसीद (कैश मेमो) को भी एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री-ट्रेड एलपीजी (एफ़टीएल) सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बीमा कवरेज का आधार माना जाएगा।
		6. जब खाली एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र में वापस ले जाया जा रहा हो।
		7. बीमित/ वितरक अथवा बीमित द्वारा अधिकृत पीएसओ द्वारा आपूर्ति की गई एलपीजी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली स्थितियों के दौरान, जिनमें पुनर्प्रयुक्त प्रणाली, सामुदायिक रसोई, तथा अन्य अनुप्रयोग जैसे गीजर, लाइटिंग, जेनरेटर सेट, सिंचाई पंप आदि शामिल हैं।
		8. जब एलपीजी सिलेंडर को एलपीजी इंस्टालेशन से जोड़ा जा रहा हो अथवा एलपीजी इंस्टालेशन से अलग किया जा रहा हो।
		9. शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी/ नगर निगम अस्पतालों, मध्यान्ह भोजन योजनाओं, तथा बाल कल्याण/ महिला कल्याण/ सामाजिक कल्याण हेतु संचालित सामाजिक संस्थानों (जैसे बाल गृह, वृद्धाश्रम, दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह आदि) में प्रयुक्त एलपीजी।
		10. रेस्टोरेंट, होटल, निजी अस्पताल/ क्लिनिक, पोल्ट्री फार्म (कुक्कुट पालन), अनाज सुखाने के संयंत्र, ईंट भट्टे, सिरेमिक उद्योग, कृषि संबंधी उपयोग, कुटीर उद्योग, हीट ट्रीटमेंट, कांच उद्योग तथा एलपीजी का उपयोग करने वाला कोई अन्य उद्योग। किसी घटना के घटित होने की स्थिति में, बीमाकर्ता भारतीय विधि के अनुसार, भारत में कहीं भी, न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्धारित बीमित की कानूनी देयता के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति राशि-जिसमें दावाकर्ता की लागत, शुल्क एवं व्यय भी सम्मिलित हैं-के लिए बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।
		क) किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक शारीरिक चोट अथवा जीवन की हानि (बशर्ते कि वह व्यक्ति उस घटना के समय बीमित की सेवा में संलग्न न हो, जिससे ऐसी चोट उत्पन्न हुई हो, तथा वह व्यक्ति बीमित के विरुद्ध किसी भी कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत दावा करने वाला न हो।)
		ख) बीमा अवधि के दौरान, निविदा दस्तावेज़ में वर्णित एलपीजी रिसाव से संबंधित किसी घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति को हुआ आकस्मिक नुकसान (बशर्ते कि वह संपत्ति बीमित की न हो, न उसके स्वामित्व में हो, न उसकी अभिरक्षा में हो और न ही उसके नियंत्रण में हो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की न हो जो बीमित की सेवा में हो; तथा वह संपत्ति ऐसी न हो जिस पर बीमित या उसका कोई कर्मचारी उस समय कार्य कर रहा हो अथवा पूर्व में कार्य कर चुका हो, यदि ऐसा नुकसान प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य के परिणामस्वरूप हुआ हो।)

		कवरेज • प्रति घटना: ₹ 75 लाख • प्रति वर्ष: ₹ 100 करोड़ यहाँ "घटना" से आशय उस विशिष्ट दुर्घटना से है, जो पॉलिसी में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो। **धारा–II :** अधिकृत ग्राहकों के पंजीकृत परिसर में जीवन की हानि, शारीरिक चोट तथा संपत्ति क्षति के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज। तथापि, फ्री-ट्रेड एलपीजी (एफ़टीएल) उपभोक्ताओं के मामले में "पंजीकृत ग्राहक परिसर" संबंधी शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं का नामांकन केवल पहचान प्रमाण के आधार पर (कानून के अंतर्गत देयता से स्वतंत्र) किया जाता है ।

क्र.सं	आवश्यक कवरेज	सीमा
1	व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु)	प्रति व्यक्ति प्रति घटना ₹ 6 लाख
2	चिकित्सा व्यय	प्रति घटना ₹ 30 लाख (अधिकतम ₹ 2 लाख प्रति व्यक्ति, तत्काल राहत ₹ 25,000/- तक प्रति व्यक्ति)
3	संपत्ति क्षति	अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में प्रति घटना अधिकतम ₹ 2 लाख
4	पॉलिसी अवधि के लिए	₹ 20 करोड़
यहाँ "घटना" से तात्पर्य उस विशिष्ट दुर्घटना से है, जो पॉलिसी में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो।		

परिस्थितियाँ:

1. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र से बाहर ले जाया जा रहा हो।
2. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर अनुमोदित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन में हों।

3. यह पॉलिसी वितरक के परिसर में संग्रहीत भरे हुए सिलेंडरों को सम्मिलित करेगी। यह पॉलिसी अधिकृत रिटेल आउटलेट्स/ किसी भी अधिकृत पीओएस आदि पर संग्रहीत सिलेंडरों को भी सम्मिलित करेगी। यहाँ "अधिकृत" शब्द का अर्थ एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू होना है।

4. जब भरे हुए सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों/ वितरक के परिसर से पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर तक, अथवा *कैश-एंड-कैरी* प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा ले जाए जा रहे हों। इस आवागमन में वितरक द्वारा उपभोक्ता तक सीधे आपूर्ति किए जा रहे एलपीजी सिलेंडर/ फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडर तथा वैध समझौता/ एमओयू रखने वाले किसी भी अधिकृत पीओएस के माध्यम से की गई अप्रत्यक्ष आपूर्ति भी सम्मिलित होगी; तथा/अथवा जब भरे हुए एवं खाली सिलेंडर *कैश-एंड-कैरी* प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ता से अथवा उपभोक्ता द्वारा वितरक के परिसर/ पीओएस/ संबंधित तेल विपणन कंपनियों

		तक परिवहन में हों। यह आवागमन उपभोक्ता से लौटाए जा रहे एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों तथा वैध समझौता/ एमओयू रखने वाले किसी भी अधिकृत पीओएस के माध्यम से की गई अप्रत्यक्ष आपूर्ति को भी सम्मिलित करेगा। 5. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर में उपयोग में हों अथवा रखे गए हों। तथापि, फ्री-ट्रेड एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में "पंजीकृत उपभोक्ता परिसर" संबंधी शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं का नामांकन केवल पहचान प्रमाण के आधार पर किया जाता है। अधिकृत एलपीजी वितरक/ किसी भी अधिकृत पीओएस, जिनका एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू हो, द्वारा जारी नकद रसीद (कैश मेमो) को भी एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बीमा कवरेज का आधार माना जाएगा। 6. जब खाली एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र में वापस ले जाया जा रहा हो। 7. जब बीमित/ वितरक अथवा बीमित द्वारा अधिकृत पीएसओ द्वारा आपूर्ति की गई एलपीजी के उपयोग से उत्पन्न परिस्थितियाँ हों, जिनमें पुनर्प्रयुक्त प्रणाली, सामुदायिक रसोई, तथा अन्य अनुप्रयोग जैसे गीजर, लाइटिंग, जनरेटर सेट, सिंचाई पंप आदि शामिल हैं। 8. जब सिलेंडर को एलपीजी इंस्टालेशन से जोड़ा जा रहा हो अथवा एलपीजी इंस्टालेशन से अलग किया जा रहा हो। 9. शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी/ नगर निगम अस्पतालों, मध्यान्ह भोजन योजनाओं, तथा बाल कल्याण/ महिला कल्याण/ सामाजिक कल्याण हेतु संचालित सामाजिक संस्थानों (जैसे बाल गृह, वृद्धाश्रम तथा दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह आदि) में प्रयुक्त एलपीजी। 10. रेस्टोरेंट, होटल, निजी अस्पताल/क्लिनिक, पोल्ट्री फार्म (कुक्कुट पालन), अनाज सुखाने के संयंत्र, ईंट भट्टे, सिरेमिक उद्योग, कृषि संबंधी उपयोग, कुटीर उद्योग, हीट ट्रीटमेंट, कांच उद्योग तथा एलपीजी का उपयोग करने वाला कोई अन्य उद्योग।
8.	कटौती योग्य राशि	धार–I के अंतर्गत निपटाए गए दावों के लिए ₹ 10,000 की कटौती की जाएगी।
9.	मध्यस्थ का विवरण	प्रत्यक्ष

टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंज़िल, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिज़नेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, महाराष्ट्र, भारत।
आईआरडीए पंजीकरण संख्या: 108 यूआईएन सं, सीआईएन सं: यू85110एमएच2000पीएलसी128425
दूरभाष: +91-22-66699696
अधिक जानकारी के लिए टाटा एआईजी हेल्पलाइन नं 1800-266-7780 पर कॉल करें।
www.tataaig.com

सार्वजनिक दायित्व बीमा नीति

चूँकि अनुसूची में निर्दिष्ट बीमित ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) को एक प्रस्ताव एवं घोषणा प्रस्तुत की है अथवा प्रस्तुत करवाई है, जो इस अनुबंध का आधार होगी और आगे निहित बीमा के लिए इसमें अंतर्निहित मानी जाएगी, तथा बीमित ने इसमें उल्लिखित प्रीमियम का भुगतान कर दिया है।

अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है कि इसमें निहित अथवा इस पर अंकित नियमों, सीमाओं, अपवादों एवं शर्तों के अधीन, कंपनी अनुसूची में उल्लिखित अवधि के दौरान अथवा किसी पश्चातवर्ती अवधि के दौरान, जिसके लिए कंपनी नवीनीकरण प्रीमियम स्वीकार करें, आगे वर्णित सीमा तक, नीचे उल्लिखित धारा -I एवं धारा -II के अनुसार बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

धारा –I : विधिक दायित्व

देश के कानून के अनुसार जीवन की हानि, चोट अथवा क्षति के लिए देय क्षतिपूर्ति की वह देयता, जो एलपीजी से संबंधित दुर्घटनाओं के संदर्भ में न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आदेशों अथवा किसी भी वैधानिक प्राधिकरण के आदेशों द्वारा निर्धारित की गई हो, बशर्ते कि ऐसी दुर्घटना नीचे उल्लिखित आच्छादित परिस्थितियों (जोखिम की स्थिति) के कारण घटित हुई हो।

परिस्थितियाँ (जोखिम की स्थिति):

1. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र से बाहर ले जाया जा रहा हो।

2. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर अनुमोदित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन में हों।

3. यह पॉलिसी वितरक के परिसर में संग्रहीत भरे हुए सिलेंडरों को सम्मिलित करेगी। यह पॉलिसी अधिकृत रिटेल आउटलेट्स/ किसी भी अधिकृत पीओएस आदि पर संग्रहीत सिलेंडरों को भी सम्मिलित करेगी। यहाँ "अधिकृत" शब्द का अर्थ एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू होना है।

4. जब भरे हुए सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों/ वितरक के परिसर से पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर तक, अथवा *कैश-एंड-कैरी* प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा ले जाए जा रहे हों। इस आवागमन में वितरक द्वारा उपभोक्ता तक सीधे आपूर्ति किए जा रहे एलपीजी सिलेंडर/ फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडर तथा एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू रखने वाले किसी भी अधिकृत पीओएस के माध्यम से की गई अप्रत्यक्ष आपूर्ति भी सम्मिलित होगी; तथा/अथवा जब भरे हुए एवं खाली सिलेंडर *कैश-एंड-कैरी* प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ता से अथवा उपभोक्ता द्वारा वितरक के परिसर/ पीओएस/ संबंधित तेल विपणन कंपनियों तक परिवहन में हों। यह आवागमन उपभोक्ता से लौटाए जा रहे एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों तथा वैध समझौता/ एमओयू रखने वाले किसी भी अधिकृत पीओएस के माध्यम से की गई अप्रत्यक्ष आपूर्ति को भी सम्मिलित करेगा।

5. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर में उपयोग में हों अथवा रखे गए हों। तथापि, फ्री-ट्रेड एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में "पंजीकृत उपभोक्ता परिसर" संबंधी शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं का नामांकन केवल पहचान प्रमाण के आधार पर किया जाता है। अधिकृत एलपीजी वितरक/ किसी भी अधिकृत पीओएस, जिनका एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू हो, द्वारा जारी नकद रसीद (कैश मेमो) को भी एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री-ट्रेड एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बीमा कवरेज का आधार माना जाएगा।

6. जब खाली एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र में वापस ले जाया जा रहा हो।

7. जब बीमित/ वितरक अथवा बीमित द्वारा अधिकृत पीओएस द्वारा आपूर्ति की गई एलपीजी के उपयोग से उत्पन्न परिस्थितियाँ हों, जिनमें पुनर्प्रयुक्त प्रणाली, सामुदायिक रसोई, तथा अन्य अनुप्रयोग जैसे गीजर, लाइटिंग, जनरेटर सेट और सिंचाई पंप आदि शामिल हैं।

8. जब सिलेंडर को एलपीजी इंस्टालेशन से जोड़ा जा रहा हो अथवा एलपीजी इंस्टालेशन से अलग किया जा रहा हो।

9. शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी/ नगर निगम अस्पतालों, मध्यान्ह भोजन योजनाओं तथा बाल कल्याण/ महिला कल्याण/ सामाजिक कल्याण हेतु संचालित सामाजिक संस्थानों (जैसे बाल गृह, वृद्धाश्रम एवं दिव्यांगजनों के लिए आश्रय गृह आदि) में प्रयुक्त एलपीजी।

10. रेस्टोरेंट, होटल, निजी अस्पताल/क्लिनिक, पोल्ट्री फार्म (कुक्कुट पालन), अनाज सुखाने के संयंत्र, ईंट भट्टे, सिरेमिक उद्योग, कृषि संबंधी उपयोग, कुटीर उद्योग, हीट ट्रीटमेंट, कांच उद्योग तथा एलपीजी का उपयोग करने वाला कोई अन्य उद्योग।

किसी घटना की स्थिति में, बीमाकर्ता भारतीय विधि के अनुसार, भारत में कहीं भी, न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्धारित बीमित की कानूनी देयता के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति- जिसमें दावाकर्ता की लागत, शुल्क एवं व्यय भी सम्मिलित हैं- के लिए बीमित को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

क) किसी भी व्यक्ति को आकस्मिक शारीरिक चोट अथवा जीवन की हानि, बशर्ते कि वह व्यक्ति उस घटना के समय बीमित की सेवा में संलग्न न हो जिससे ऐसी चोट उत्पन्न हुई हो, तथा वह व्यक्ति बीमित के विरुद्ध किसी भी कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत दावा करने वाला न हो।

ख) बीमा अवधि के दौरान, निविदा दस्तावेज़ में वर्णित एलपीजी रिसाव से संबंधित किसी घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति को हुआ आकस्मिक नुकसान, बशर्ते कि वह संपत्ति बीमित की न हो, न उसकी स्वामित्व में हो, न उसकी अभिरक्षा में हो और न ही उसके नियंत्रण में हो, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की न हो जो बीमित की सेवा में हो; तथा वह संपत्ति ऐसी न हो जिस पर बीमित या उसका कोई कर्मचारी उस समय कार्य कर रहा हो अथवा पूर्व में कार्य कर चुका हो, यदि ऐसा नुकसान प्रत्यक्ष रूप से उस कार्य के परिणामस्वरूप हुआ हो।

कवरेज:
प्रति घटना: ₹ 75 लाख
प्रति वर्ष: ₹ 100 करोड़
यहाँ "घटना" से तात्पर्य उस विशिष्ट दुर्घटना से है, जो पॉलिसी में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो।

धारा –II :
अधिकृत ग्राहकों के पंजीकृत परिसर में जीवन की हानि, शारीरिक चोट तथा संपत्ति क्षति के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज। तथापि, फ्री-ट्रेड एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में "पंजीकृत ग्राहक परिसर" संबंधी शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं का नामांकन केवल पहचान प्रमाण के आधार पर (कानून के अंतर्गत देयता से स्वतंत्र) किया जाता है।

क्र.सं	**आवश्यक कवरेज**	**सीमा**
1	व्यक्तिगत दुर्घटना (मृत्यु)	प्रति व्यक्ति प्रति घटना ₹ 6 लाख
2	चिकित्सा व्यय	प्रति घटना ₹ 30 लाख (अधिकतम ₹ 2 लाख प्रति व्यक्ति, तत्काल राहत ₹ 25,000/- तक प्रति व्यक्ति)
3	संपत्ति क्षति	अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में प्रति घटना अधिकतम ₹ 2 लाख
4	पॉलिसी अवधि के लिए	₹ 20 करोड़
यहाँ "घटना" से तात्पर्य उस विशिष्ट दुर्घटना से है, जो पॉलिसी में उल्लिखित परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पन्न हुई हो।		

परिस्थितियाँ:
जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों को बॉटलिंग संयंत्र से बाहर ले जाया जा रहा हो।
जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर अनुमोदित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से परिवहन में हों।

3. इस पॉलिसी में वितरक के परिसर में संग्रहित भरे हुए सिलेंडरों को शामिल किया जाएगा। यह पॉलिसी अधिकृत रिटेल आउटलेटों/ किसी भी अधिकृत बिक्री बिंदु (पीओएस) आदि पर संग्रहित सिलेंडरों को भी सम्मिलित करेगी। यहाँ 'अधिकृत' शब्द का अर्थ एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू होना है।

4. जब भरे हुए सिलेंडर तेल विपणन कंपनियों/वितरक के परिसर से पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर तक, अथवा कैश-एंड-कैरी प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा परिवहन के दौरान हों। यह आवागमन वितरक द्वारा ग्राहक को भेजे जा रहे एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री–ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों की प्रत्यक्ष आपूर्ति तथा किसी भी ऐसे अधिकृत बिक्री बिंदु (पीओएस) के माध्यम से की जाने वाली अप्रत्यक्ष आपूर्ति को शामिल करेगा, जिनके पास एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू हो/ या जब भरे हुए तथा खाली सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता से अथवा कैश एंड कैरी प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा वितरक के परिसर/ पीओएस/ संबंधित तेल विपणन कंपनियों तक ले जाए जा रहे हों। यह आवागमन ग्राहक से भेजे जा रहे एलपीजी सिलेंडरों/ फ्री–ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों को भी सम्मिलित करेगा तथा किसी भी ऐसे अधिकृत बिक्री बिंदु (पीओएस) के माध्यम से की जाने वाली अप्रत्यक्ष आपूर्ति को भी शामिल करेगा, जिनके पास एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू हो।

5. जब भरे हुए एलपीजी सिलेंडर पंजीकृत उपभोक्ता के परिसर में उपयोग में हों अथवा रखे गए हों। तथापि, फ्री–ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) उपभोक्ताओं के मामले में 'पंजीकृत उपभोक्ता परिसर' से संबंधित यह प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं का नामांकन केवल पहचान प्रमाण के आधार पर किया जाता है।अधिकृत एलपीजी वितरक द्वारा अथवा एलपीजी वितरकों/ तेल विपणन कंपनियों के साथ वैध समझौता/ एमओयू रखने वाले किसी भी अधिकृत बिक्री बिंदु (पीओएस) द्वारा जारी किया गया कैश मेमो, एलपीजी सिलेंडर/ फ्री–ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बीमा कवरेज का आधार भी होगा।

6. जब खाली सिलेंडर बॉटलिंग संयंत्र तक वापस ले जाए जा रहे हों।

7. जब बीमाधारक/वितरक या बीमाधारक द्वारा अधिकृत पीओएस द्वारा आपूर्ति किए गए एलपीजी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली घटनाओं के कारण, जैसे रेटिकुलेटेड सिस्टम, सामुदायिक रसोई, अन्य अनुप्रयोग जैसे गीजर, लाइटिंग, जनरेटर सेट और सिंचाई पंप आदि।

8. जब सिलेंडर को एलपीजी संस्थापन (इंस्टॉलेशन) से जोड़ा जा रहा हो या एलपीजी संस्थापन से अलग किया जा रहा हो।

9. शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सरकारी/नगरपालिका अस्पतालों, मध्याह्न भोजन योजनाओं, बाल कल्याण / महिला कल्याण / सामाजिक कल्याण के लिए संचालित सामाजिक कल्याण संस्थानों (जैसे बाल गृह, वृद्धाश्रम तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गृह आदि) में प्रयुक्त एलपीजी।

10. रेस्टोरेंट, होटल, निजी अस्पताल / क्लीनिक, पोल्ट्री फार्म, अनाज सुखाने के केंद्र, ईंट भट्टे, सिरेमिक उद्योग, कृषि उपयोग, कुटीर उद्योग, ऊष्मा उपचार, काँच उद्योग तथा एलपीजी का उपयोग करने वाला कोई भी अन्य उद्योग।

क) यदि पॉलिसी अवधि के दौरान, जैसा कि अनुसूची में परिभाषित है, पॉलिसीधारक या उसके अधिकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए एलपीजी सिलेंडर से वास्तविक या कथित रिसाव के कारण उत्पन्न किसी दुर्घटनाजन्य, हिंसक, बाह्य तथा दृश्य कारण से किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं पूर्ण रूप से शारीरिक चोट पहुँचती है, और उसके परिणामस्वरूप मृत्यु या अपंगता होती है, तो कंपनी बीमित व्यक्ति को, या अनुसूची में नामित व्यक्तियों को, अथवा उसके/उसकी अभिहस्तांतरित व्यक्ति / उसके/उसकी वैधानिक व्यक्तिगत प्रतिनिधि को, नीचे उल्लिखित राशि या राशियाँ अदा करेगी, अर्थात्;

1. यदि ऐसी चोट उसके घटित होने की तारीख से बारह (12) कैलेंडर महीनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु का एकमात्र तथा प्रत्यक्ष कारण बनती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित बीमित व्यक्ति के लिए इस अनुसूची में निर्दिष्ट बीमित राशि देय होगी।
2. यदि ऐसी चोट उसके घटित होने की तारीख से बारह (12) कैलेंडर महीनों के भीतर पूर्ण एवं अपूरणीय हानि का एकमात्र तथा प्रत्यक्ष कारण बनती है, तो

I. दोनों आँखों की दृष्टि की हानि, या शारीरिक रूप से पूर्णतः अलग हो जाने के कारण दोनों पूरे हाथों अथवा दोनों पूरे पैरों की वास्तविक हानि, या एक पूरा हाथ तथा एक पूरा पैर की हानि, या एक आँख की दृष्टि की हानि -ऐसी स्थिति में इस अनुसूची में निर्दिष्ट बीमित राशि देय होगी।

II. दो हाथों या दो पैरों का उपयोग न कर पाना, या एक हाथ और एक पैर का उपयोग न कर पाना या एक आंख की रोशनी चले जाना और एक हाथ या एक पैर का उपयोग न कर पाना, तो ऐसी स्थिति में इस पॉलिसी की अनुसूची में उल्लिखित बीमित राशि।

3. यदि ऐसी चोट लगने के बारह (12) कैलेंडर महीनों के भीतर, वह पूरी तरह से ठीक न होने वाले नुकसान का एकमात्र और सीधा कारण बनती है:

   I. एक आंख की रोशनी चले जाने या शारीरिक रूप से एक पूरा हाथ या एक पूरा पैर अलग हो जाने पर, इस पॉलिसी की अनुसूची में संबंधित बीमित व्यक्ति के लिए उल्लिखित बीमित राशि का पचास प्रतिशत (50%) देय होगा।
   II. किसी हाथ या पैर के उपयोग की पूरी और अपूरणीय हानि, बिना शारीरिक अलगाव के, संबंधित बीमित व्यक्ति के लिए इस अनुसूची में उल्लिखित बीमित राशि का पचास प्रतिशत (50%)।

उपरोक्त खंड (2) और (3) के प्रयोजन के लिए, किसी हाथ या पैर का शारीरिक अलगाव उस हाथ के लिए कलाई से ऊपर और/या उस पैर के लिए टखने से ऊपर को कहा जाएगा।

4. यदि ऐसी चोट के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, तुरंत, स्थायी, पूर्ण और पूर्णतः, बीमित व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोजगार या पेशे में संलग्न होने में असमर्थ हो जाता है, तो संबंधित बीमित व्यक्ति के लिए इस अनुसूची में उल्लिखित बीमित राशि के बराबर एकमुश्त भुगतान (100%) देय होगा।

5. यदि ऐसी चोट के होने के बारह (12) कैलेंडर महीनों के भीतर यह चोट निम्नलिखित के उपयोग की पूर्ण या आंशिक अपूरणीय हानि या शारीरिक अलगाव द्वारा वास्तविक हानि की एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण बनती है, तो नीचे दर्शाए अनुसार बीमित राशि का प्रतिशत देय होगा।

चोट	**पूंजीगत बीमित राशि का प्रतिशत**
1 पैरों की उँगलियों की हानि सभी बड़ा अंगूठा – दोनों हड्डियाँ बड़ा अंगूठा – एक हड्डी बड़े अंगूठे के अतिरिक्त, यदि एक से अधिक उँगलियों की हानि हो प्रत्येक उँगली	20 5 2 1
2. श्रवण क्षमता की हानि दोनों कान एक कान	50 15
3. एक हाथ के अंगूठे एवं चार उँगलियों की पूर्ण हानि	40
4. चार उँगलियों की हानि	35
5. अंगूठे की हानि उंगली की दोनों हड्डियों की हानि उंगली की एक हड्डी की हानि	 25 10
6. तर्जनी उँगली की हानि उंगली की तीन हड्डियों की हानि उंगली की दो हड्डियों की हानि उंगली की एक हड्डी की हानि	 10 8 4
7. मध्यमा उँगली की हानि	

उंगली की तीन हड्डियों की हानि उंगली की दो हड्डियों की हानि उंगली की एक हड्डी की हानि	6 4 2
8. अनामिका उँगली की हानि उंगली की तीन हड्डियों की हानि उंगली की दो हड्डियों की हानि उंगली की एक हड्डी की हानि	 5 4 2
9. कनिष्ठिका (छोटी) उँगली की हानि उंगली की तीन हड्डियों की हानि उंगली की दो हड्डियों की हानि उंगली की एक हड्डी की हानि	 4 3 2
10. मेटाकार्पस (कलाई की हड्डियों) की हानि पहला या दूसरा मेटाकार्पस (अतिरिक्त) तीसरा, चौथा या पाँचवाँ मेटाकार्पस (अतिरिक्त)	 3 2

किसी अन्य प्रकार की स्थायी आंशिक अक्षमता का प्रतिशत, चिकित्सकों के आकलन के अनुसार।

<u>चिकित्सा खर्चों पर लागू अपवाद/छूट:</u>

इस खंड के अंतर्गत कंपनी निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी नहीं होगी:
क) उसी अक्षमता की अवधि के लिए उपरोक्त में से एक से अधिक खंडों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति;

ख) किसी एक खंड (1), (2), (3) या (4) के तहत दावा स्वीकार किए जाने और देय हो जाने के बाद कोई अन्य भुगतान।

ग) किसी एक बीमा अवधि के दौरान इस खंड के तहत एक से अधिक दावों की स्थिति में कोई भी भुगतान, जिससे उस अवधि में कंपनी की अधिकतम देयता इस पॉलिसी के खंड (1) के तहत देय राशि से अधिक हो जाए।

घ) बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट या अक्षमता के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान निम्नलिखित परिस्थितियों से होने पर;
- जानबूझकर आत्म-हानि, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
- मादक पेय/ ड्रग्स के प्रभाव में होने के दौरान
- किसी भी अपराध करने के दौरान, जब बीमित ने आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन किया हो।

अपवाद / छूट

यह पॉलिसी निम्नलिखित देयताओं को कवर नहीं करती है:
1. इस पॉलिसी के तहत निम्नलिखित देयताएँ शामिल नहीं हैं:

2. भूकंप, धरती में कंपन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, तूफान, आंधी, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, चक्रवात या अन्य इसी प्रकार के प्राकृतिक भू-संवेग और वायुमंडलीय विक्षोभ से उत्पन्न देयताएं।

3. किसी भी वैधानिक प्रावधान का सुविचरित, इच्छापूर्वक या जान-बूझकर पालन न करने तथा रखरखाव, उचित गुणवत्ता नियंत्रण और पॉलिसी धारक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली देयता।

4. शुद्ध वित्तीय हानि से उत्पन्न देयता, जैसे कि व्यापारिक प्रतिष्ठा का नुकसान, बाजार हानि आदि।

5. क) सभी व्यक्तिगत चोटों से उत्पन्न देयता, जैसे कि मानहानि, (झूठी/निंदा), गलत गिरफ्तारी, गलत निष्कासन, गलत निरुद्धि, बदनामी आदि, तथा इससे उत्पन्न मानसिक चोट, पीड़ा या सदमा।

   ख) योजनाओं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिज़ाइन का उल्लंघन।

6. जुर्माने, दंड, दंडात्मक या उदाहरणात्मक हर्जाने या किसी अन्य हर्जाने से उत्पन्न देयता, जो मुआवज़े के हर्जाने के परिणामस्वरूप से हुई हो या किसी आपराधिक देयता से उत्पन्न हुई हो।

7. युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु का कृत्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या न हो), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, बगावत या सैन्य/अवैध सत्ता के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुई घटनाओं से उत्पन्न देयता।

8. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निम्नलिखित से उत्पन्न या योगदान देने वाली देयता:

क) किसी भी नाभिकीय ईंधन से या किसी नाभिकीय ईंधन के दहन से उत्पन्न किसी नाभिकीय अपशिष्ट से आयनित विकिरण या रेडियोधर्मी संदूषण;
ख) किसी भी विस्फोटक नाभिकीय उपकरण या उसके घटक की रेडियोधर्मी, विषैला, विस्फोटक या अन्य हानिकारक गुणों से।

9. यह पॉलिसी उन दावों के लिए देयता कवर नहीं करती जो बीमित द्वारा किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर के स्वामित्व, कब्ज़ा, उपयोग या किसी की ओर से उपयोग के कारण उत्पन्न हुए हों, जिनके लिए कानून द्वारा अनिवार्य बीमा आवश्यक है, सिवाय निम्नलिखित के:

क) किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर का हिस्सा बनने वाले, उससे जुड़े हुए या उसके साथ उपयोग किए जाने वाले किसी भी औज़ार या मशीनरी (प्लांट) के उपयोग से उत्पन्न दावे।

ख) किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर की लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान, किसी भी सड़क मार्ग या सार्वजनिक आवागमन मार्ग की सीमाओं से बाहर उत्पन्न होने वाले दावे।

ग) किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर के भार अथवा उसमें लदे या उतारे गए माल के भार के कारण किसी पुल, वे-ब्रिज (तौल पुल), सड़क या उसके नीचे स्थित किसी भी संरचना को हुई क्षति से संबंधित दावे।

घ) पार्किंग के उद्देश्य से बीमित की अस्थायी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे गए किसी भी मोटर वाहन या ट्रेलर से उत्पन्न दावे।

10. बीमित परिसरों के बाहर किसी भी सामग्री और/या खतरनाक/जोखिमयुक्त पदार्थों का परिवहन, जब तक कि विशेष रूप से कवर न किया गया हो (एलपीजी सिलेंडर-खाली और/या भरे हुए-को छोड़कर)।
11. बीमित द्वारा या उसकी ओर से किसी भी विमान, जलयान या होवरक्राफ्ट का स्वामित्व, कब्ज़ा या उपयोग।
12. बीमित के स्वामित्व में, पट्टे पर ली गई, किराए पर ली गई, उच्चतर खरीद के अंतर्गत या ऋण स्वरूप बीमित को प्रदान की गई किसी भी संपत्ति को हुई क्षति, अथवा ऐसी कोई संपत्ति जो अन्यथा बीमित की देखरेख, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सिवाय इसके कि

क) बीमाधारक द्वारा उस पर कार्य करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से अधिगृहीत परिसर (या उसमें स्थित सामग्री), अथवा कोई अन्य संपत्ति जो कार्य किए जाने हेतु अस्थायी रूप से बीमाधारक के कब्जे में हो। तथापि, उस संपत्ति के उस भाग को हुए नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी, जिस पर बीमाधारक स्वयं कार्य कर रहा हो और जो क्षति ऐसे कार्य के कारण उत्पन्न हुई हो।

ख) कर्मचारियों तथा आगंतुकों के वस्त्र और व्यक्तिगत सामान

ग) बीमित द्वारा किराए/पट्टे पर लिए गए परिसर, केवल उस सीमा तक में बीमित को विधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है जहाँ किसी विशेष समझौते का अभाव है।

13. अनुसूची में निर्दिष्ट पॉलिसी प्रारंभ तिथि से पूर्व घटित किसी भी चोट और/या क्षति। तथापि, यह सदैव इस शर्त के अधीन रहेगा कि यदि किसी कवर की गई दुर्घटना के पश्चात किसी पदार्थ के निरंतर अथवा निरंतर अंतराल के साथ श्वसन, सेवन या प्रयोग (लागू किए जाने) के कारण कोई चोट या क्षति उत्पन्न होती है, और बीमित तथा बीमाकर्ता इस विषय में सहमत न हों कि ऐसी चोट या क्षति किस समय उत्पन्न हुई, तो

क) ऐसी चोट को उस तिथि को घटित माना जाएगा, जिस तिथि को दावाकर्ता ने उक्त चोट के संबंध में पहली बार किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लिया हो।

ख) क्षति को उस समय घटित माना जाएगा जब वह पहली बार दावाकर्ता को स्पष्ट रूप से प्रतीत हुई हो, भले ही उसका कारण उस समय अज्ञात रहा हो।

14. दावों को रोकने हेतु सभी युक्तिसंगत कदम उठाने की आवश्यकता के प्रति बीमित के तकनीकी या प्रशासनिक प्रबंधन द्वारा किया गया जानबूझकर, सचेत अथवा इच्छापूर्वक उपेक्षा।

15. दावों को रोकने हेतु युक्तिसंगत कदम उठाने की आवश्यकता निर्धारित करने वाले, बीमित के तकनीकी या प्रशासनिक प्रबंधन के नियमों अथवा नीतियों (चाहे वे स्पष्ट हों या निहित) की जानबूझकर, सचेत या इच्छापूर्वक अवहेलना के कारण।

16. किसी भी व्यक्ति को लगी चोट, जो बीमित ठेकेदार/उप-ठेकेदार के साथ रोजगार या प्रशिक्षण अनुबंध के तहत हो, और ऐसी चोट उस अनुबंध के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई हो।

17. प्रदूषण, किसी भी कारण से उत्पन्न (प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल, जल और भूमि का संदूषण)।

सामान्य शर्तें:

क) उपभोक्ता तथा बीमित व्यक्ति दुर्घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर, यथासंभव शीघ्र, किसी भी दावे के संबंध में बीमाकर्ता को लिखित सूचना देने का प्रयास करेंगे तथा बीमाकर्ता द्वारा माँगी गई सभी अतिरिक्त जानकारियाँ प्रदान करेंगे। तथापि, बीमा अवधि से संबंधित किसी भी दावे को स्वीकार करने की निर्धारित सीमा (कट-ऑफ) अवधि, बीमा अवधि की समाप्ति के बाद 90 दिन होगी। प्रत्येक दावा, वाद, समन अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया तथा घटना से संबंधित सभी दस्तावेज, बीमित द्वारा प्राप्त होते ही तुरंत बीमाकर्ता को अग्रेषित किए जाएंगे।

ख) यह बीमा किसी भी समय बीमित के अनुरोध पर समाप्त की जा सकती है, जिस स्थिति में बीमाकर्ता पॉलिसी लागू रहने की अवधि के लिए प्रचलित शॉर्ट-पीरियड प्रीमियम दर के अनुसार प्रीमियम रखेगा। इसी प्रकार, यह बीमा किसी भी समय बीमाकर्ता के विकल्प पर समाप्त की जा सकती है, यदि बीमित को इस संबंध में 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाए। ऐसी स्थिति में, बीमाकर्ता शेष अवधि के लिए प्रीमियम का अनुपातिक हिस्सा मांग पर वापस करेगा। किसी भी स्थिति में प्रीमियम केवल तभी वापस किया जाएगा जब पॉलिसी के तहत कोई दावा न किया गया हो।

ग) यदि पॉलिसी के तहत देयता उत्पन्न होती है या किसी दावे का भुगतान किया जाता है, तो किसी भी वर्ष के लिए पॉलिसी के तहत सीमित हर्जाने की राशि उस दावे के देय राशि या वास्तविक भुगतान के बराबर कम हो जाएगी। हर्जाने की कुल सीमा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके पुनः स्थापित की जा सकती है, जैसा कि सहमति से तय होगा।

घ) यह भी स्पष्ट रूप से सहमति और घोषणा की जाती है कि यदि बीमाकर्ता किसी दावे के लिए बीमित के प्रति देयता से इनकार करता है और उस इनकार की तिथि से 12 कैलेंडर महीनों या लागू कानून के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर वह दावा अदालत में मामला नहीं बनाया जाता, तो वह दावा सभी प्रयोजनों के लिए त्यागा गया माना जाएगा और इसके बाद पुनः इस पॉलिसी के तहत वसूल नहीं किया जा सकेगा।

च) यदि किसी दावे में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी शामिल हो, या वह दावा किसी भी कथन या उपाय पर आधारित हो—चाहे वह बीमित द्वारा किया गया हो या बीमित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा-और/या यदि बीमा किसी महत्वपूर्ण गलत कथन या बीमित की ओर से किसी महत्वपूर्ण जानकारी के खुलासा न करने के परिणामस्वरूप जारी रखा गया हो, तो बीमाकर्ता इस पॉलिसी के तहत किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

छ) इस पॉलिसी के तहत कोई भी दावा तभी देय होगा जब दावे का कारण भारत में उत्पन्न हुआ हो। सभी कार्यवाही भारतीय कानून के अधीन होंगी।

ज) अनुबंध की पक्षकार एक-दूसरे से सहमति करके इस पॉलिसी से संबंधित किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग मध्यस्थता समझौते में प्रवेश कर सकते हैं। मध्यस्थता, और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।

तत्काल राहत

जब किसी दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो, तो बीमाकर्ता प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹25,000 तक तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा, बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा देयता की पुष्टि की जाए और बीमित के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा 'तत्काल राहत प्रमाण पत्र' प्रस्तुत किया गया हो। इस रूप में भुगतान की गई राशि को दावे के अंतिम निपटान में समायोजित किया जाएगा।

समय-सीमा

यदि धारा-।। के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर की संपूर्ण राशि तक तो 20 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि राशि के अनुरूप अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर बीमा कवर बढ़ाया जाएगा। अतिरिक्त दावे की राशि का आकलन उस समय किया जाएगा जब व्यक्तिगत दुर्घटना कवर की पूरी सीमा तक मुआवजा भुगतान कर दिया जाए, और यह आकलन अधिकतमरिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन के अंत तक किया जाएगा। अतिरिक्त प्रीमियम तथा उस पर लागू कर (शुल्क) की राशि का वहन क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में आइओसी, बीपीसी और एचपीसी द्वारा किया जाएगा तथा इनपुट शुल्क क्रेडिट/रिलीफ प्रत्येक कंपनी द्वारा अलग-अलग लिया जाएगा। तदनुसार, सफल बोलीदाता को प्रत्येक ऑयल मार्केटिंग कंपनी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आइओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)-के लिए अलग-अलग इनवॉइस जारी करने होंगे।